

सूचना

सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय मुख्य परिसर अर्न्तगत स्थित कैटीन एवं दुकानों का आवंटन निदेशक प्रशासन एवं परिवीक्षण के पत्रांक सं०- ए०एन०डी०यू०ए०टी०-०७/स्था०/प्र०सहा०/कैटीन एवं दुकान आवंटन/२०२६/१६३९ दिनांक- ०६.१०.२०२६ द्वारा किया गया है (प्रति संलग्न)। तत् क्रम में अवगत कराना है कि आदेश निर्गमन के ३० दिन के भीतर आवंटन की समस्त वांछित प्रक्रिया पूर्ण कर सम्पत्ति अनुभाग से आवंटित कैटीन अथवा दुकान हस्तगत लेना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में ३० दिन की अवधि पूर्ण होने की तिथि से आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

सम्पत्ति अधिकारी

आचार्य न० दे० कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: ३६१/स०अनु०/२०२६

दिनांक: १७/११/२०२६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

१. निदेशक, प्रशासन एवं परिवीक्षण।
२. वित्त नियंत्रक।
३. कुलपति के सचिव।
४. डॉ विशल मेहता, सहा० प्राध्यापक, कृषि सांख्यिकी विभाग को इस आशय से प्रेषित कि सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
५. श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, ग्राम व पो०- पिठला, जनपद- अयोध्या।
६. श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह, रुकुनूदीनपुर, हैदरगढ़, बाराबंकी।
७. श्री शिवचन्द्र पुत्र श्री राम किशोर, ग्राम व पो०- पिठला, जनपद-अयोध्या।
८. श्री शिव शंकर यादव पुत्र श्री राम किशोर, ग्राम व पो०- पिठला, जनपद-अयोध्या।
९. श्री आशीश कुमार पुत्र श्री अश्वनी कुमार, जरई कला, अमेठी।
१०. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री ओमकार, बवां, कुमारगंज, अयोध्या।
११. यूनिक शाल्यूशंस, ८१९/२५४ बेगमगंज, मकबरा, नाका, अयोध्या।
१२. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री दया शंकर, खड़ौली, तौधिकपुर, अमेठी।
१३. अवध इण्टरप्राइजेज, इनायतनगर पोस्ट आफिस, अयोध्या।
१४. श्री हरीश शर्मा पुत्र श्री दया शंकर, खड़ौली, तौधिकपुर, सुल्तानपुर।
१५. एस०एस० इण्टरप्राइजेज, ८०६, प्रथम मंजिल, मानस नगर, अयोध्या।
१६. एस०एस० इण्टरप्राइजेज, ८०६, प्रथम मंजिल, मानस नगर, अयोध्या।
१७. श्री राम आनन्द धोबी पुत्र श्री मतई तेंधा, मिल्कीपुर, अयोध्या।
१८. श्री मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री शोभनाथ यादव, पूरे भोला इसौलीभारी, अयोध्या।
१९. श्री मोहित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर, ग्राम-बहबरमऊ, मिल्कीपुर, अयोध्या।
२०. श्रीमती विमला पत्नी शिवचन्द्र, ग्राम- पिठला, जनपद- अयोध्या।
२१. श्रीमती मुसीना पत्नी रिजवान, शिवनगर, कुमारगंज, अयोध्या।

सम्पत्ति अधिकारी
आ.न.दे.कृषि एवं प्रौ. वि. वि.
कुमारगंज-अयोध्या

आदेश

गा0 कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 08.09.2026 के क्रम में विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में स्थित अधोलिखित कैटीन एवं दुकानों को उनके नाम के सम्मुख अंकित उच्चतम निविदादाता को निर्धारित दर पर (प्रतिमाह) इस शर्त के साथ आवण्टित किया जाता है कि रु0 100.00 रुपये के Non Judicial Stamp पर अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा एवं निवृत्त कनेक्शन अलग-अलग मीटर लगाकर दिया जायेगा तथा निवृत्त बिल विश्वविद्यालय की दर के अनुसार अतिरिक्त देय होगा।

क्रमांक	कैटीन/दुकानों का विवरण	उच्चतम निविदादाता का नाम	निर्धारित किराया दर प्रतिमाह (रु0 में)
1	कृषि महाविद्यालय के पारा स्थित कैटीन संख्या-01	श्री अरुण कुमार सिंह पुत्र श्री बंदा प्रकाश सिंह, ग्राम व पो0- पिठला, जनपद- अयोध्या	35551.00
2	मल्लिकार्जुन महाविद्यालय के पारा स्थित कैटीन संख्या 02	श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री राजेश कुमार सिंह रूकुनूतीनपुर, हैदरगढ़, बाराबंकी	18003.00
3	मल्लिकार्जुन महाविद्यालय के पास दुकान संख्या 02	श्री शिवचन्द्र पुत्र श्री राग किशोर, ग्राम व पो0- पिठला, जनपद-अयोध्या	6000.00
4	मल्लिकार्जुन महाविद्यालय के पारा दुकान संख्या 01	श्री शिव शंकर यादव पुत्र श्री राग किशोर, ग्राम व पो0- पिठला, जनपद-अयोध्या	7000.00
5	पोस्ट ऑफिस में बी 2 गैरेज	आशीश कुमार पुत्र श्री अश्वनी कुमार, जर्ई कला, अगोठी	5850.00
6	इण्डेन गैस गोदाम के पारा दुकान संख्या टी 2	विनोद कुमारपुत्र श्री ओमकार, बत्ता कुमारगंज, अयोध्या	7550.00
7	इण्डेन गैस गोदाम के पास दुकान संख्या-04	यूनिक शालूशंरा, 019/254 बेगमगंज, मकबरा, नाका, अयोध्या	10000.00
8	इण्डेन गैस गोदाम के पास दुकान संख्या टी-03	कृष्ण कुमार पुत्र श्री दया शंकर, झाड़ीली, तीर्थिकपुर, अमैठी	5555.00
9	इण्डेन गैस गोदाम के पास दुकान संख्या-03	अनसु इण्टरप्राइजेज, इनायतनगर पोस्ट ऑफिस, अयोध्या	8000.00
10	इण्डेन गैस गोदाम के पास दुकान संख्या टी-01	हरीश शर्मा पुत्र श्री दया शंकर, झाड़ीली, तीर्थिकपुर, सुल्तानपुर	7150.00
11	पुराने भारतीय स्टेट बैंक भवन के सीढ़ी के नीचे दुकान संख्या- क	एस0एस0 इण्टरप्राइजेज, 806, प्रथम मंजिल, मानस नगर, अयोध्या	6000.00
12	पुराने भारतीय स्टेट बैंक भवन के सीढ़ी के नीचे दुकान संख्या- ख	एस0एस0 इण्टरप्राइजेज, 806, प्रथम मंजिल, मानस नगर, अयोध्या	5000.00
13	इण्डेन गैस गोदाम के पारा दुकान संख्या टी 04	श्री राम आनन्द घोषी पुत्र श्री मतई तेषा, मिल्कीपुर, अयोध्या	2121.00
14	कृषि महाविद्यालय के पीछे स्थित गुमटी	श्री मुकेश कुमार यादव पुत्र श्री शोभनाथ यादव, पूरे भोला इरीलीगारी अयोध्या	5150.00
15	कालिन्दी छात्रावास के सामने स्थित दुकान	श्री मोहित कुमार पुत्र श्री रामेश्वर, ग्राम-बहबरगढ़, मिल्कीपुर, अयोध्या	5550.00
16	महिला छात्रावास के सामने स्थित दुकान (महिला छात्रों के लिए आरक्षित)	श्रीमती विमला पत्नी शिवचन्द्र, ग्राम पिठला जनपद- अयोध्या	7000.00
17	सेलून कार्य हेतु इण्डेन गैस गोदाम के पास गुमटी रखने की अनुमति	श्रीमती मुरीना पत्नी रिजवान, शिवनगर, कुमारगंज अयोध्या	3700.00

उक्त कैटीन एवं दुकानों का आवंटन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय हित में किया जाता है:-

1. प्रत्येक आवण्टी को निर्धारित अनुबन्ध पत्र के साथ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नवीनतम फोटो, फोन नं०, ई-मेल आईडी की स्व हस्ताक्षरित प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
 2. कैटीन एवं दुकानों का एक साथ 03 माह का एडवान्स निर्धारित किराया (सिक्वोरिटी मनी) के रूप में वित्त नियंत्रक, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के नाम बैंकर्सचेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्पत्ति अधिकारी के कार्यालय में जमाकर रसीद प्राप्त प्राप्त करनी होगी।
 3. कैटीन एवं दुकानों के किराये का भुगतान प्रत्येक माह के 07 तारीख को सम्पत्ति अनुभाग में नगद/ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा, निर्धारित तिथि तक किराया जमा नहीं किया जाता तो निर्धारित बिलम्ब शुल्क के साथ जमा करना अपरिहार्य होगा।
 4. आवण्टित स्थल की प्रतिदिन पूर्ण साफ-सफाई व कूड़े का निस्तारण स्वयं आवण्टी को करना अनिवार्य होगा।
 5. विश्वविद्यालय नियमानुसार दुकान का अग्रिम भी आदेश निर्गमन के अगले दिवस में अनुबन्ध पत्र के साथ जमा करना होगा, निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्पत्ति अधिकारी को प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्पत्ति अधिकारी द्वारा आवण्टित दुकान/स्थल का कब्जा हस्तान्तरित किया जायेगा।
 6. लगातार दो माह किराया बिलम्ब से जमा करने की स्थिति में आवण्टन निरस्त कर दिया जायेगा।
 7. विद्युत बिल का भुगतान प्रत्येक माह बिल प्राप्त होने पर तत्काल निर्माण निदेशालय में जमाकर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
 8. आवण्टित दुकान/कैन्टीन आदि का कब्जा/हस्तान्तरण इन्वेन्ट्री बनाकर किया जाय।
- यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है। जो तत्काल प्रभावी होगा।

(सुशान्त श्रीवास्तव)

निदेशक,

प्रशासन एवं परिवीक्षण

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर, कुमारगंज, अयोध्या।

पत्रांक-ए.एन.डी.यू.ए.टी.-07/स्था0/प्र0सहा0/कैटीन एवं दुकान आवण्टन/2026/1639 दिनांक: 06 अक्टूबर, 2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिष्ठाता/ निदेशक।
2. कुलसचिव।
3. वित्त नियंत्रक
4. निदेशक निर्माण एवं संयंत्र।
5. सचिव, उपभोक्ता सहकारी समिति, कुमारगंज अयोध्या।
6. पुस्तकालयाध्यक्ष।
7. समस्त विभागाध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित अधिष्ठाता।
8. उपभण्डार कय अधिकारी।
9. प्रभारी, परिसर चिकित्सालय/सुरक्षा/ वाहन/स्वागत अनुभाग/जनसूचना।
10. कुलपति के सचिव।
11. सम्पत्ति अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि समस्त आवण्टियों से प्रतिभूति धनराशि, सिक्वोरिटी मनी एवं अनुबन्ध पत्र इत्यादि प्राप्त करने के उपरान्त आवण्टित कैन्टीन/दुकान का हस्तान्तरण (कब्जा) इन्वेन्ट्री बनाकर ही करें।
12. समस्त आवण्टी को सम्पत्ति अधिकारी के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुबन्ध पत्र एवं निर्धारित सिक्वोरिटी मनी जमाकर आवण्टित दुकान की चाबी/कब्जा सम्पत्ति अधिकारी से प्राप्त करें।
13. गार्ड फाइल/समस्त नोटिस बोर्ड।

प्रशासनिक अधिकारी